

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ...

[illegible]

ᐅᑦᑲᑦᑲᑦᑲᑦ ᐅᑦᑲᑦᑲᑦᑲᑦ ᐅᑦᑲᑦᑲᑦᑲᑦ 14/12 (ᐅᑦᑲᑦᑲᑦᑲᑦᑲᑦᑲᑦ)

[illegible]

एन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ ।

धार्थी की ओर से श्री दीनानाथ गुप्ता, उपप्रबन्धक (वित्त) ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 (1959) के अन्तर्गत माननीय
वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा प्रतिप्रेषित वाद पर निर्णय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय उत्तर प्रदेश वैद्य अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-१०॥ दि० १४/12,
२०१३ 28.02.2012 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः, (६०) ॥ १५॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॥

Whether IOC, Mathura is correct in charging VAT on sale of bonded ATF to HPC, Amousi inasmuch as such bonded ATF is purchased by HPC for onward supplies to foreign going aircraft and in the course of export out of the territory of India ?

2. कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को, धारा-59 (1) (b) (i) 25.5.2012 से इस आधार पर अस्वीकार किया था कि प्रार्थी द्वारा अपने सम्बन्ध में प्रश्न न पूछ कर सर्वश्री, ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मथुरा द्वारा वैट लगाये जाने के संबंध में कर की स्थिति जाननी चाही गयी है। प्रस्तुत प्रश्न प्रार्थी से संबंधित नहीं है और प्रार्थी उक्त मामले में “The Dealer Concern” नहीं है। पूछा गया प्रश्न, प्रार्थी से संबंधित न होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है, जिसे अस्वीकार किया जाता है।

3. कमिशनर, वाणिज्य कर के द्वारा पारित उक्त निर्णयों के अन्तर्गत अधिग्रहण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष अपील संख्या-20/12 गी.पी.सी. के अधिग्रहण द्वारा प्रस्तुत अपील पर निर्णय, दिनांक 30.10.2012 पारित करते हुए, वाद को, इस आधार पर प्रतिप्रेषित कर दिया कि प्रार्थी ATF की खरीद सर्वश्री इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड से करता है, इसलिए वह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत उस खरीद के बिन्दु पर अधिग्रहण हो सकता है। उक्त आधार पर कमिशनर, वाणिज्य कर द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 25.5.2012 अपास्त करते हुए मामले को निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया।

4. एरलनेसिओ डी० डे डी।।, आंड डी।।, अ; डेडीनंभा (डेडीआ; डी।-ऑयल सेक्टर) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या में कहा गया है कि ATF हवाई जहाज में फ्यूल की तरह प्रयोग होता है और यह उड़ान के समय जल कर समोको डि डीको उ च , डी डेडी ATF "।, डी डेडी भौति कस्टम फ्रन्टियर के बाहर ट्रांसफर नहीं होता है। Designated Indian Carrier को अन्तराष्ट्रीय उड़ानों के डिड डेडी "।, ATF डेडी '।।ड°, डि।।-5 (1) के अन्तर्गत “ Export ” नहीं है, क्योंकि अन्तराष्ट्रीय उड़ान के डिड, Designated Indian Carrier डे -।।। नं डि डेडी डेडी।। डेडी।। डेडी।। डेडी।। '।।ड° '।।ड° डी।।डै।। डि।। उ च

सर्वश्री HPCL द्वारा सर्वश्री इण्डियन ऑयल कारपोरेशन से की गयी खरीद धारा-5(3) के अन्तर्गत नहीं आती है, क्योंकि HPCL द्वारा Designated Indian Carrier है, जो Export मंडल है, जैसाकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री मद्रास मैरीन एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास के वाद में कहा गया है। HPCL द्वारा Designated Indian Carrier को की गयी बिक्री अधिनियम के तहत Excluded Sale के अंतर्गत नहीं आती है। HPCL द्वारा Designated Indian Carrier को की गयी बिक्री अधिनियम के तहत Excluded Sale के अंतर्गत नहीं आती है। HPCL द्वारा Designated Indian Carrier को की गयी बिक्री अधिनियम के तहत Excluded Sale के अंतर्गत नहीं आती है। HPCL द्वारा Designated Indian Carrier को की गयी बिक्री अधिनियम के तहत Excluded Sale के अंतर्गत नहीं आती है।

5. प्रार्थी की ओर से श्री दीनानाथ गुप्ता, उपप्रबन्धक (वित्त) उपस्थित हुए। धारा-59 के अधीन प्रार्थी द्वारा उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद-5(3) के अन्तर्गत, प्रार्थी (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी माल का अन्तिम बिक्री या खरीद भी, जो उस बिक्री या खरीद के पूर्व हुआ है, जिसके कारण ऐसे माल का निर्यात भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर हुआ है, ऐसे निर्यात के अनुक्रम में उस दशा में समझा जायेगा, जब ऐसा अन्तिम बिक्री या खरीद ऐसे निर्यात के पश्चात् हुआ हो और ऐसे निर्यात के लिए या उसके संबंध में समझौता (agreement) या आदेश का अनुपालन करने के लिए प्रार्थी द्वारा उचित

[illegible]

6. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि HPCL, IOCL, Mathura और ATF की खरीद करके Designated Indian Carrier को बिक्री की जाती है। केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-5(3) में यह व्यवस्था दी गयी है कि “उपधारा (1) के किसी बात के होते हुए भी, किसी माल का आयात या खरीद भी, जो उस बिक्री या खरीद के पूर्व हुआ है, जिसके कारण ऐसे माल का निर्यात भारत के राज्य के क्षेत्र से बाहर हुआ है, ऐसे निर्यात के अनुक्रम में उस दशा में समझा जायेगा, जब ऐसा अन्तिम बिक्री ऐसे निर्यात के पश्चात हुआ हो और ऐसे निर्यात के लिए या उसके संबंध में समझौता (agreement) या आदेश का अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए किया गया हो।” इसी प्रकार से धारा-5 (5) में “अभिविहित (designated) भारतीय वाहक अपनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान के प्रयोजन से ATF खरीदा है, तो ऐसे खरीद को भारत राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में हटा माना जायेगा”।

उक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि प्रार्थी HPCL द्वारा IOCL, Mathura से की गयी बिक्री पर धारा-5(3) के अन्तर्गत नहीं आती है, और HPCL द्वारा Designated Indian Carrier को की गयी बिक्री पर धारा-5(3) का लाभ केवल एक्सपोर्टर को है। ऐसी स्थिति में HPCL द्वारा IOCL, Mathura से की गयी खरीद करमुक्त नहीं रहेगी। धारा-5 (5) के अन्तर्गत केवल धारा-5 (1) के Excluded Items को ही Exclude करने में IOCL, Mathura से की गयी खरीद करमुक्त नहीं रहेगी। अतः स्पष्ट है कि HPCL द्वारा Designated Indian Carrier को की गयी बिक्री पर धारा-5 (3) के प्राविधानों को नहीं। अतः स्पष्ट है कि HPCL द्वारा Designated Indian Carrier को की गयी बिक्री पर धारा-5 (3) के प्राविधानों को नहीं। अतः स्पष्ट है कि HPCL द्वारा Designated Indian Carrier को की गयी बिक्री पर धारा-5 (3) के प्राविधानों को नहीं।

[illegible]

A sale or purchase of goods shall be deemed to take place in the course of the export of the goods out of the territory of India only if the sale or purchase either occasions such export or is effected by a transfer of documents of title to the goods after the goods have crossed the customs frontiers of India.

Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the last sale or purchase of any goods preceding the sale or purchase occasioning the export of those goods out of the territory of India shall also be deemed to be in the course of such export, if such last sale or purchase took place after, and was for the purpose of complying with, the agreement or order for or in relation to such export.

Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if any designated Indian carrier purchases Aviation Turbine Fuel for the purposes of its international flight, such purchase shall be

Explanation- For the purposes of this sub-section, `` designated Indian carrier '' means any carrier which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

A sale or purchase of goods shall be deemed to take place in the course of the export of the goods out of the territory of India only if the sale or purchase either occasions such export or is effected by a transfer of documents of title to the goods after the goods have crossed the customs frontiers of India.

While all exports involved a taking out of the country, all goods taken out of the country cannot be said to be exported. The test is that the goods must have a foreign destination where they can be said to be imported. It matters not that there is no valuable consideration from the receiver at the destination end. If the goods are exported and there is sale or purchase in the course of that export and the sale or purchase occasions the export to a foreign destination, the exemption is earned.

HPCL को Designated Indian Carrier के तौर पर Section 5 (5) के तहत देखी जाती है। Section 5 (1) के तहत HPCL को Designated Indian Carrier द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए की गयी ATF की खरीद को निर्यात के दौरान खरीद अवधारित के तहत देखी जाती है।

डिप्टी सेल HPCL - आइ एच आई "आई" आई एच ईनम उ, आरु , आरु-5 (3) के प्राविधानों से आच्छादित नहीं है।
आरु-5 (3) के अन्तर्गत “ last sale or purchase of any goods preceding the sale or purchase occasioning
the export of those goods out of the territory of India ” के सन्दर्भ में करमुक्ति की व्यवस्था है। यह
ईनम, आरु , आरु-5 (1) के अन्तर्गत किये गये निर्यात के पूर्व की खरीद या बिक्री ठीक ठीक, आरु उ च , आरु-5 (5) के
ठोठाठाठाठा के आरु आरु ईनम आरु आरु उ च

[illegible]

í°¹ììÉé 03 šì¹ì, 2013

Ú0 / 03.06.2013

(Øìì, ì¹ìì í®ì°ììᄁᄂ)

ॡ! ¢Ñì¼ìì ¤éÀîÑ¹ìÀ, "É! -2, ¤ìì¸SÄì ¤éÀ,
„त्तर प्रदेश, लखनऊ ।